

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

मिसल नम्बर

103/2020/प्रा.पत्र/2020

तारीख दायरा

31.12.2020

मुरारी लाल शर्मा

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

23.12.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

बनाम

..... प्रार्थी

- 1-श्री अरुण कुमार जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन एफ.बी.ओ मैसर्स अरुण कुमार सार्थक जैन बस स्टेण्ड के पास देवली जिला टोंक राज0
- 2- मैसर्स अरुण कुमार सार्थक जैन बस स्टेण्ड के पास देवली जिला टोंक राज0
- 3-श्री संजय गोयल पुत्र श्री बुद्धिप्रकाश गोयल प्रोपरायटर मैसर्स महेन्द्र ऑयल मिल बांसोली रोड देई जिला बून्दी राज0
- 4- मैसर्स महेन्द्र ऑयल मिल बांसोली रोड देई जिला बून्दी राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011
उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थीगण उपस्थित


:-निर्णय:-

दिनांक 23.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.09.2020 को समय 3.11 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स अरुण कुमार सार्थक जैन बस स्टेण्ड के पास देवली जिला टोंक राज0पर पहुंचा। प्रोपरायटर की हैसियत से अरुण कुमार जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन एफ.बी.ओ मैसर्स अरुण कुमार सार्थक जैन बस स्टेण्ड के पास देवली जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में सरसो तेल कच्ची घाणी लाइफ ओ.के. टिन पैक रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री अरुण कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं.




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक



में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता अरुण कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में 15-15 किलोग्राम के 180 नग टिन सरसो तेल कच्ची घाणी लाइफ ओ.के. टिन पैक रखे हुये में से एक टिन का चयन कर 1600 ग्राम का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री अरुण कुमार जैन को रू0 168/- अक्षरे एक सौ अडसठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा सरसो तेल कच्ची घाणी लाइफ ओ.के. टिन पैक 1600 ग्राम को एक साफ व सूखे प्लास्टिक के जग में तुलवाकर चार अलग-अलग साफ व सूखे प्लास्टिक के शीशियो में 400-400 ग्राम भरकर शिशियो के ढक्कन को एयर टाईट बंद किया एवं नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2589 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलिफ नं. I-2489 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता अरुण कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलिफ व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री अरुण कुमार जैन ने मौके पर सूजी सरसो तेल कच्ची घाणी लाइफ ओ.के. टिन पैक का बतोर वारंटी बिल मैसर्स महेन्द्र ऑयल मिल बांसोली रोड देई जिला बून्दी राज0का खरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 डी 189 दिनांक 29.09.2020 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3878 दिनांक 03.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट स0 एल0एस0/1312/एक्ट/2020/1384 दिनांक 09.10.2020 अनुसार अरुण कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया सरसो तेल कच्ची घाणी लाइफ ओ.के. टिन पैक खाद्य



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i) (zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का सरसो तेल कच्ची घाणी लाइफ ओ.के. टिन पैक का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस सरसो तेल कच्ची घाणी लाइफ ओ.के. टिन पैक का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया सरसो तेल कच्ची घाणी लाइफ ओ.के. टिन पैक का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी अरुण कुमार जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन एफ.बी. ओ मैसर्स अरुण कुमार सार्थक जैन बस स्टेण्ड के पास देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ति 12,500 (अक्षरे बारह हजार पांच सौ रू0) अप्रार्थी श्री संजय गोयल पुत्र श्री बुद्धिप्रकाश गोयल प्रोपरायटर मैसर्स महेन्द्र ऑयल मिल बांसोली रोड देई जिला बून्दी राज0 पर शास्ति 12,500 (अक्षरे बारह हजार पांच सौ रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.12.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



23.12.2021
(सुपरी) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निणयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0